न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–39/2023

उनवान

1. शंकर लाल पुत्र श्री घीसू लाल खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... वादी

बनाम

1. देवी पुत्र श्री मेघा खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ निवासी हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::– **अधिवक्ता वादीगण –श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा उप0**
प्रतिवादीगण संख्या(1)– उप0
पेरोकार सरकार– प्रतिवादी संख्या 02 उप0

–:: निर्णय ::–

दिनांक 03.09.2024

यह है कि वादीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी सरहद यह है सरहद मंगरोप पटवार का हल्का मंगरोप प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा कि वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 17/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 28 अठाईस मई 2019 दो हजार उन्नीस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक को होने पर माह फरवरी 2023 दो हजार तैबीस में प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा आराजी नम्बर 2914 रकबा 03 बिस्वा में से 17 बिस्वांसी पर कब्जा कर लिया, जिससे दिनांक 18 अठारह मई 2023 दो हजार तैबीस को उक्त आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे वादी की आराजी नम्बर 2914 रकबा 03 बिस्वा में से 17 बिस्वांसी जो मौका पर्चा में बने नक्शे में वर्णित है, उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादी की आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 एक का कोई हक अधिकार नहीं है। यह है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित वादी की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

नम्बर 2914 रकबा 03 बिस्वा में से 17 बिस्वासी भूमि पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 25 पच्चीस जून 2023 दो हजार तैबीस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना प्रतिवादी संख्या 01 एक उक्त आराजी से कब्जा नही छोडेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 एक का कुछ नहीं बिगाड सकता है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप–1 भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 2914 रकबा 0.0379 हैक्टयर (03 बिस्वा) में से 17 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यह है कि वादी को प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक माह फरवरी 2023 दो हजार तैबीस को कब्जा कर लेने व दिनांक 18 अठारह मई 2023 दो हजार तैबीस एवं दिनांक 25 पच्चीस जून 2023 दो हजार तैबीस को कब्जा छोडने से इंकार कर देने से से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है। कि वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप–1 भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 2914 रकबा 0.0379 हैक्टयर (03 बिस्वा) मे से 17 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाबी डिकी वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित।

वादीगण/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष जाहिर किया की आपसी सहमति व लोक–अदालत की भावना से प्रतिवादी द्वारा वादी की कब्जाशुदा जमीन पर अपना कब्जा हटा लेगा एवं वादीगण एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादी की जमीन से आने–जाने के रास्ते को प्रतिवादी द्वारा रोक दिया जायेगा जिसपर वादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नही है। प्रतिवादीगण का वाद की डिकी पारित की जाये तो किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

—:: आदेश ::—

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण की ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू0अ0नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा की आराजी सं. 2914 रकबा 0.0379 है0(3 बिस्वा) में से 17 बिस्वांसी पर प्रतिवादी द्वारा किये गये अवैध कब्जा हटा लेगा एवं वादीगण एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादी की जमीन से आने–जाने के रास्ते को प्रतिवादी द्वारा रोक दिया जायेगा जिसपर वादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 03.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
जिला–भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारीः— नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—39 / 2023

उनवान

1. शंकर लाल पुत्र श्री घीसू लाल खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... वादी

बनाम

1. देवी पुत्र श्री मेघा खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ निवासी हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::— **अधिवक्ता वादीगण —श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा उप0**
प्रतिवादीगण संख्या(1)— उप0
पेरोकार सरकार— प्रतिवादी संख्या 02 उप0

दिनांक 03.09.2024

वाद—पत्र डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण राजीनामे के आधार पर इस प्रकार जारी की जाती है कि—वाके ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू0अ0नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा की आराजी सं. 2914 रकबा 0.0379 है0(3 बिस्वा) में से 17 बिस्वांसी पर प्रतिवादी द्वारा किये गये अवैध कब्जा हटा लेगा एवं वादीगण एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादी की जमीन से आने—जाने के रास्ते को प्रतिवादी द्वारा रोक दिया जायेगा जिसपर वादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 03.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी,
हमीरगढ जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with CamScanner